

40/1

M.C.8/2002
RBE NO. 119/2002

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, dated 22.07.2002

No.E(MPP)2001/6/7

The General Managers,
All Indian Railways including
Production Units.

Sub:- Apprentices Act, 1961—Training in Railway Establishments

Various instructions relating to Apprentices Act 1961 and training of Apprentices have been issued since the issue of Master Circular on Apprentices Act 1961, circulated vide Board's letter No.E(MPP)90/6/5 dated 31.10.90. It has now been decided that these instructions may be compiled at one place and a revised Master Circular may be made available for the benefit of all.

1. General

The Apprentices Act, 1961 was enacted by the Government on 12.12.61, to regulate and control the training of apprentices in certain designated trades, with the object of getting adequate manpower trained in Industrial Skills for the developing industries in the country. The provisions of the Act were implemented on the Railways in August 1963. The obligation under the Act on the part of Railways is to provide training only and not to absorb the trained apprentices.

(Ref. Board's letter No.E(Trg.)61 TRI/42 dated 29.8.63.

2. Extent of application of the Act.

2.1 The provisions of the Act apply on the Railways to the workshops of the Civil, Mechanical and S&T Engineering Departments, Production Units, Diesel and Electric Loco Sheds, Carriage and Wagon Depot and Electrification Projects.

2.2 No engagement should be undertaken in the units where large number of surplus already exist e.g. Printing Presses, Mechanical workshops and Signal Workshops, etc.

2.3 Wherever the number of apprentices to be engaged is too small and training facilities are insufficient, efforts may be made to suitably adjust the seats allocated in other major establishments.

(Ref. Board's letters No.E(Trg.)75(33)/15 dated 16.10.75 and E(Trg.)80/(33)/6 dated 17.9.1981, E(MPP)97/6/7 dated 2.4.98.

3. Number to be engaged for training

3.1 Ministry of Labour have been repeatedly bringing to the notice of the Board that the number of apprentices being trained in Railway Establishments is significantly lower than the seats allocated by the Regional Directors of Apprenticeship Training. It was brought to the notice of the Ministry of Labour that Railways are undergoing changes in technology, resulting in significantly reduced activities in certain trades even though significant number of artisans in these trades may still be on roll. It was also brought to the notice of Ministry of Labour that the existing training facilities on the Railways also have the responsibility of re-training the surplus staff and this causes limitation to Railways' capability of training stipulated number of Apprentices under the Apprenticeship Act. It was decided to have joint surveys conducted by the respective Regional Directors of Apprenticeship Training with the incharges of Railway Establishments.

(E(MPP)90/6/7 dated 29.11.95)

3.2 Following are the salient features to be borne in mind regarding joint surveys:-

3.2.1 Railway should ensure that only those designated trades are included in the survey, which have a potential for future recruitment/absorption. (This is important in the light of Hon'ble Supreme Court's judgement in the case of UP State Road Transport Corporation Vs. UP Berozgar Samiti.)

3.2.2 The survey should be based on the skilled strength only and should not include unskilled workers/supervisors.

3.2.3 In the Division, unit of activity for engagement of apprentices should be Diesel Sheds, Electrical Loco Sheds, C&W Depots, etc. where there is a large concentration of staff i.e.500 and more.

3.2.4 The total number of surplus staff available in a particular unit may also be kept in mind while fixing the quota. (Training of surplus staff through conversion courses may restrict the Unit's training capacity of Act Apprentices.)

3.2.5 Joint Survey Reports and figures relating to quota fixing should be jointly signed by functionary not lower than Dy.CME or equivalent on the Railways and Dy.Director or equivalent from the side of the RDATs.

(Board's letters No.E(MPP)90/6/7 dt. 29.11.95 &

No.E(MPP)97/6/7 dt. 2.4.98

No.E(MPP)90/6/7/Pt. dt.15.5.97)

3.3 Pursuant to the last Joint Survey held between Ministry of Labour and Railway officials, following number of Trade Apprentices are to be engaged :

<u>Railway</u>	<u>Seat Allotted</u>
CR	375
ER	894
NR	458
NER	158
NFR	59
SR	518
SCR	244
SER	505
WR	393
CLW	615
DCW	63
ICF	320
RCF	160
WAP	25
-----	-----
Total	4907
	=====

(E(MPP)97/6/7 dated 14.5.98)

3.4 In addition to 4907 Trade Apprentices, 956 training seats for providing practical training facilities to Engineer Graduate and Diploma Holders for 2001-2002 to 2003-2004 have been decided by the Ministry of Railways.

(Board's letter No.E(MPP)2000/6/2 dt. 18.5.2001)

3.5 In reference to Para 3.1 above, the Ministry of Railways have decided that, no fresh joint surveys should be undertaken in railways till instructions are issued by Board. Apprentices are to be engaged as per the quota fixed above and the same number is to be maintained at any given point of time.

(Board's letter No.E(MPP)97/6/7/Vol.II dt. 15.2.2000)

4. Types of Act Apprentices engaged on the Railways

There are three categories of apprentices.

- (i) Trade apprentices—either fresh candidates or ITI qualified candidates;
- (ii) Technician apprentices (Diploma Holders); and
- (iii) Graduate Engineer apprentices.

5. Engagement of Act Apprentices will be from the following sources:

- i) Nearest Employment Exchanges;
 - ii) SC/ST organizations;
 - iii) ITIs wherever existing; and
 - iv) Wards of Railway employees.
- (Railway Board's letter No.E(Trg.)75(33)/15 dated 23.7.75
No.E(MPP)86/6/6/Pt.dated 30.10.1989)

6. Schedules of engagement

Engagement of Act Apprentices should be done twice in a year. i.e. February/March and September/October to enable them to appear in All India Trade Test to be held in April/October respectively.

(Ref: Board's letter No.E(MPP)90/6/7/Pt. dt.15.5.97)

7. Reservations while engaging Act Apprentices

Reservation of training places in every designated trade in favour of SC/STs should be made as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 62. However, Ministry of Labour has decided that reservation is not applicable as far as OBCs are concerned.

(Board's letter No.E(MPP)95/6/8 dated 14.6.95)

8. Age for engagement of Act Apprentices for training on Railways

- (i) ITI candidates should have completed 15 years of age and should not have completed 22 years of age.
- (ii) Non ITI candidates should have completed 15 years of age and should not have completed 20 years of age.
- (iii) The upper age limit is relaxable by 5 years in the cases of SCs/STs.

(Ref: Board's letter No.E(Trg.)82(33)/7 dated 12.7.82)

9. Physical Fitness

Selected candidates will have to conform to the standards of physical fitness, as prescribed for appointment to the relevant trades on the Railways.

10. Basic Training and Related Instructions

- 10.1 The training consists of basic training followed by shop floor or practical training including a course of related instructions appropriate to the trade, throughout the period of training. Annexure-I to this letter contains the information relating to the designated trades under the Apprentices Act, 1961 available on the Railways for training and the period of training, in addition to the minimum educational qualification prescribed for recruitment.

The Basic Training Centre should be developed as per NCVT norms. If the BTC has not been set-up as per the norms, Establishments can engage ITI pass out candidates only. In this case if non-ITI persons are to be engaged as apprentices, the prior permission of the concerned Regional Director is required to be taken.

Related Instructions is part of the Apprenticeship Training Course and it is to be imparted to the trade apprentices by the Establishment as per the syllabus of the trade. In case the Establishment is not able to organise Related Instructions classes for its apprentices the concerned RDAT will make arrangement for it.

(Refer Board's letter No.E(MPP)90/6/7/Pt. dt. 15.5.97)

- 10.2 In the case of Graduate Engineers and diploma holders the period of training is one year.
(Ref: Para 5(4) of Apprenticeship Rules, 62 as amended from time to time)
- 10.3 For ITI passed candidates, the duration of training will be regulated according to the duration of training already undergone in the designated trades in the ITI.
- 10.4 The rebate allowed in period of training as given at Annexure-I.
- 10.5 The training should be provided as per the syllabus/syllabi prescribed by the Director General of Employment and Training.

11. Hours of Work

Weekly hours of work of trainee apprentices are as follows:

- (i) Total number of hours per week should be 42 to 48 hours per week (including the time spent on imparting related instructions);
- (ii) Trade apprentices undergoing basic training will work for 42 hours per week including time spent on imparting related instructions;
- (iii) During the second year of apprenticeship, the trade apprentices will work for 42 to 45 hours per week including the time spent on imparting related instructions;

- (iv) During the third and subsequent years the trade apprentices will work for the same number of hours per week as the workers in the trade in the establishment in which they are undergoing training;
- (v) Graduate Engineers and Technician Apprentices will work according to the normal hours of work of the department to which they are attached for training.

Note: No trade apprentice should be engaged on training between 10.00 P.M. to 6 A.M. except with the prior approval of the Apprenticeship Adviser who will give approval after satisfying himself that it is necessary in Public interest to do so.

(Reference Rule 8 of Apprenticeship Rules, 62 and Rule 12 of Apprenticeship Rules, 1991)
(EITRG)61/TR1/42 dated 29.08.63)

12. Leave and holidays

Trade apprentices will be eligible for leave in accordance with the rules applicable to the workers in the establishment to which they are attached for training. Leave may be granted by the employer subject to the following:-

- 12.1 An apprentice on training in an establishment which works for five days a week (with a total of 45 hours per week) should put in a minimum attendance of 200 days in a year out of which 33 days should be devoted to imparting related instructions and 167 days devoted to practical training;
- 12.2 An apprentice on training in an establishment who works for 5 ½ days or 6 days a week should put in a minimum attendance of 240 days in a year out of which 40 days should be devoted to related instructions and 200 days devoted to practical training;
- 12.3 If an apprentice who for any reason is not able to undergo training for the period specified in clauses above shall be given opportunity to make up for the shortfall in the following year and shall be eligible to take the test conducted by the National Council.
 - 12.3.1 The apprentice should have completed the training with a minimum attendance of 600 days or 800 days, respectively depending on the period of training being 3 years or 4 years, if attached to an establishment working for 5 days a week;

12.3.2 An apprentice should have completed the training with the minimum attendance of 720 days or 960 days, respectively depending upon the period of training being 3 years or 4 years, if attached to establishment working for 5 ½ days or 6 days a week.

Holidays will be admissible to the apprentice as observed in the establishment(s) in which they are undergoing training.

An apprentice not undergoing training for the periods specified above may be given opportunity to make up the shortfall in the following year;

(Reference Rule 13 of the Apprenticeship Rules, 1991)

13. Conduct and Discipline

13.1 While being engaged as apprentice trainee, the apprentices will be governed by the Railway Servants Conduct Rules and Railway services (D&A) Rules in force.

13.2 With reference to payment of stipend to the Act Apprentices during the period of suspension the same may be dealt with in accordance to para 11(7) and 11(8) of Apprenticeship Rules, 1991 as reproduced below:-

11(7): Where the work and conduct of the apprentice is not satisfactory, the employer shall report the matter to the Apprenticeship Adviser and with his consent, may stop the continuance of payment of stipend to the apprentices.

Provided that the stipend of an apprentice shall not be stopped without intimating him the ground thereof and giving him an opportunity of representing against the action proposed.

11(8): On report being made by the employer under sub-rule(7), the Apprenticeship Adviser shall give his decision thereon within thirty days of the receipt of the report and where the Apprenticeship Adviser does not communicate to the employer refusal or consent to the stopping of the payment of stipend within the period of thirty days, it shall be deemed that he has consented to the stopping of the stipend.

(Board's letter No.E(MPP)91/6/11 dated 16.2.96)

14. Agreement

The entire training programme under the Apprentice Act, 61 is governed by the provisions of the Apprenticeship Contract between the employer and the apprentice. The Apprenticeship Contract or agreement should be signed by the railway and the apprentice and the railway should ensure that this is sent to the Apprenticeship Adviser for registration within three months of the date on which it was signed.

(Board's letter No.E(MPP)95/6/13 dated 21.8.95)

15. Test and grant of Certificate

Every trade apprentice on completion of the training will, on passing a test conducted by the National Council of Vocational Training to determine his proficiency in the designated trade, be granted a certificate of proficiency by the National Council.

16. Extension of Apprenticeship

Where an apprentice is unable to complete the full period of apprenticeship training or to take the final test owing to reasons beyond his control or having completed the training fails in the final test, the Railway administration may extend the period of training until the next test. For the extended period of training, stipend will be payable at the rate which was being paid before grant of such extension.

(Rule 7(2)(b)(i) of the Apprenticeship Rule 1991)

17. Stipend

17.1 The stipend payable to the Trade Apprentices w.e.f. 9.4.2001 is as under:-

1 st year of Training	Rs.820/- per month
2 nd year of Training	Rs.940/- per month
3 rd year of Training	Rs.1090/- per month
4 th year of Training	Rs.1230/- per month

(Board's letter No.E(MPP)2000/6/5 dated 12.6.2001)

17.2 The stipend payable to the Engg. Graduate/Diploma holders w.e.f. 18th May, 2001 is as under:

(a) Diploma Holders	Rs.1400/- per month
(b) Sandwich Course for student from Diploma Institution	Rs.1140/- per month
(c) Graduate Engg.	Rs.1980/- per month
(d) Sandwich Course for students from Degree institutions	Rs.1400/- per month

(Board's letter No.E(MPP)/200/6/5 dated 11.7.2001)

17.3 The payment of stipend to the Act Apprentices should be made only after the Apprenticeship Contract is signed by both the Apprentice and the Railway Administration and the same is sent for registration and acknowledgement taken from RDAT. This aspect must be ensured by the associate finance also before releasing the stipend. However, care should be taken that Apprentices should not be denied payment of stipend due to the fault of Railways. This will be viewed seriously by Board.

(Board's letter No.E(MPP)2001/6/8 dated 28.9.2001)

17.4 Stipend paid to the Graduate Engineers and Technician apprentices (Diploma Holders) as also to the sandwich course trainees will be equally shared by the training authority (Employer) and the Ministry of Human Resources Development.

(Ref: Board's letter No.E(Trg.)75/33/13 dated 3.8.75 and No.E(MPP)93/6/2 dated 26.7.95)

17.5 No deduction should be made from the stipend for the period during which an apprentice remains on casual leave or medical leave. Stipend is, however, not payable for the period for which an apprentice remains on extra ordinary leave. The continuance of payment of stipend will be subject to the work and conduct being satisfactory. Where the work and conduct are not satisfactory, the employer should report the matter to the Apprenticeship Adviser, who will advise regarding the continuance or otherwise of the payment.

(Ref: Rule 11(4), 11(b) & 11(7) Apprenticeship Rules,91)

18. Termination of Contract

Whereas the contract of apprenticeship is terminated through failure on the part of any employer in carrying out the terms and conditions thereof, such employer shall be liable to pay the apprentice compensation an amount equivalent to his three months last drawn stipend; and when the said termination is due to failure on the part of an apprentice in the above manner then, a training cost of an amount equivalent to his three months last drawn stipend shall be made recoverable from such apprentice or from his guardian in case he is minor.

(Ref: Rule 8 of Apprenticeship Rule, 1991.)

19. Absorption of Course Completed Act Apprentices

19.1 In terms of para 10 of Schedule V of the Apprenticeship Rules 1991 notified on 15.7.92 by the Ministry of Labour, it shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice on completion of period of his apprenticeship training in his establishment nor shall it be obligatory on the part of the apprentice to accept an employment under the employer.

19.2 In pursuant to the Hon'ble Supreme Court judgement dated 12.1.95 in the case of UP State Road Transport Corporation and others Vs. U.P. Parivahan Nigam Shikshuk Berozgar Sangh & others, the following instructions have been issued:

19.2.1 For recruitment to the posts of:-

- Skilled Artisans,
- Group 'C' posts for which Engineering Degree and Engineering Diploma are the qualification,
- Diesel Electric Assistants,
- Group 'D' posts

other things being equal between two candidates the candidate who is course completed Act Apprentice trained in Railway Establishment will be given preference over the candidate who is not such an apprentice. However, there would be no change in the procedure of the recruitment and the selection for recruitment will be in accordance with the merits of the eligible candidates.

(Board's letter No.E(NG)II/96/RR-1/34 dated 26.8.96,
13.7.99 and 6.4.2000 & E(NG)II/99/RR-1/11 dated 24.8.2000)

19.2.2 For recruitment to the posts of Skilled Artisans, the upper age limit for the course completed Act Apprentices will be 35 years if he had commenced his apprenticeship under the Apprenticeship Act before attaining the age of 25 years.

(Board's letter No.E(NG)II/87/RC-2/25 dated 24.6.88)

19.2.3 For recruitment to the posts of Diesel Electric Assistants and in Group 'D' categories the upper age limit will be relaxed for course completed Act Apprentices, to the extent of the period of apprenticeship.

(Board's letter No.E(NG)II/87/RC-2/25 dated 30.3.1990
and No.E(NG)II/99/RR-1/11 dated 24.8.2000)

19.2.4 The concerned training centres should maintain a list of course completed Act Apprentices trained yearwise. The persons trained earlier would be treated as senior to persons trained later.

(Board's letter No.E(MPP)96/6/14 dated 3/12/96)

20. Other Provisions

- 20.1 Apprentices are entitled to free medical treatment for personal injury caused by accident arising out and in the course of training;
(Ref: Board's letter No.E(Trg.)/67/TR-1/15 dated 8.2.68)
- 20.2 No caution money is required to be deposited by the apprentices
(Ref: Board's letter No.E(Trg.)72/33/18 dated 3.7.73)
- 20.3 For purposes of providing training, no new facilities are to be set up. The existing facilities have to be fully utilized.
- 20.4 Where the Railway provides theoretical related instructions to the trade apprentices as a part of training, a sum of Rs.30/- per month per apprentice w.e.f. 23.12.93 will be reimbursed by the Ministry of Labour, Government of India towards the cost of imparting such instructions.
(Ref: Board's letter No.E(MPP)96/6/3 dated 20.3.96)
- 20.5 Every apprentice undergoing training in a designated trade in an establishment is a trainee and not a worker. The provisions of any law with respect to labour will not apply to them except where an apprentice is undergoing training in an establishment which is governed by the provisions of the Factories Act, 1948, the relevant provisions of the said Act in relation to the Apprentice's health, safety and welfare will apply, as if he is a worker within the meaning of the Act.
(Ref: Paras 3814 and 3818 of the Indian Railway Estt. Manual)
- 20.6 Every employer should maintain a register of attendance for the apprentices undergoing apprenticeship training in his establishment. Action, if any, taken for irregular and unauthorised absence should be recorded in the said register at the end of each month.
(Ref: Rule 14(8) of Apprentice Rules, 1991)
- 20.7 Additionally, record(s) in respect of progress of training of each apprentice receiving training should be maintained and returns submitted to the concerned authorities quarterly.
(Ref: Rule 14(10) of Apprentice Rules, 1991)
- 20.8 Efforts should be made to get more personnel for training from backward areas subject to the ceiling indicated in Board's letter No.E(Trg.)84(33)/8 dated 5.5.84.

20.9 No graduate engineer or Diploma Holder who had received training or job experience for one year or more after taking the Degree/Diploma will be eligible for training under the Apprentice Act, 1961.

(Ref. Rule 2 of Apprenticeship Rules, 1991)

20.10 The directives issued by the Apprenticeship Adviser or on his behalf in the conformity with the Apprentices Act, 1961 and or the rules made there under, should be complied with, save in exceptional circumstances which should be reported to the Board immediately for being taken up with the Ministry of Labour.

21. While referring to this circular, the original letters and other references mentioned herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the existing instructions and should not be treated as a substitution to the original circulars. In case of doubt, the original circulars should be relied upon as authority.

22. The instructions contained in the original circulars referred to above have only prospective effect from the date of issue of the respective instruction unless specifically indicated otherwise. For dealing with old cases, the instruction in force at the relevant time should be referred to; and


23. If there is a circular on the subject which has not been superseded, but has been inadvertently omitted to find a mention in this consolidated circular, the said circular, should be treated as valid and operative. Information in this regard should be sent to Board.

24. Railway Board's letters on the basis of which the consolidated circular has been prepared are listed below:-

- (i) No.E(Trg.)61TR1/42 dated 29.8.63
- (ii) No.E(Trg.)75(33)/15 dated 16.10.75
- (iii) No.E(Trg.)80(33)/6 dated 12.9.81
- (iv) No.E(Trg.)73(33)/15 dated 23.7.75
- (v) No.E(Trg.)82(33)/7 dated 12.7.82
- (vi) No.E(Trg.)I-67/TR-1/15 dated 8.2.68
- (vii) No.E(Trg.)72(33)/18 dated 3.7.73
- (viii) No.E(Trg.)84(33)/9 dated 5.5.84
- (ix) No.E(Trg.)75(33)/13 dated 3.8.75
- (x) No.E(NG)II/87/RC-2/25 dated 24.6.88
- (xi) No.E(MPP)95/6/8 dated 14.6.95
- (xii) No.E(MPP)93/6/2 dated 26.7.95
- (xiii) No.E(MPP)95/6/13 dated 21.8.95
- (xiv) No.E(MPP)90/6/7 dated 29.11.95
- (xv) No.E(MPP)91/6/11 dated 16.2.96

- (xvi) No.E(MPP)96/6/3 dated 20.3.96
- (xvii) No.E(NG)II/96/RR-1/13 dated 29.3.96
- (xviii) No.E(NG)II/96/RR-1/34 dated 26.8.96
- (xix) No.E(NG)II/96/RR-1/34 dated 16.9.96
- (xx) No.E(MPP)96/6/14 dated 3.12.96
- (xxi) No.E(MPP)90/6/7/Pt. dated 15.5.97
- (xxii) No.E(MPP)97/6/7 dated 2.4.98
- (xxiii) No.E(MPP)97/6/7 dated 18.5.98
- (xxiv) No.E(NG)II/99/SB/20 dated 19.8.99
- (xxv) No.E(MPP)97/6/7/Vol.II dated 15.2.2000
- (xxvi) No.E(NG)II/96/RR-1/34 dated 6.4.2000
- (xxvii) No.E(MPP)2001/6/2 dated 18.5.2001
- (xxviii) No.E(MPP)2000/6/5 dated 12.6.2001
- (xxix) No.E(MPP)2000/6/5 dated 11.7.2001

Please acknowledge receipt of this letter.


 (R. Mukundan)
 Executive Director(Training & MPP)
 Railway Board

No.E(MPP)2001/6/7

New Delhi, dated .07.2002.

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, for information with 35 spares.
2. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi, for information with 35 spares.
3. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, for information with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi, for information with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (90 spares.)


 For Secretary, Railway Board.

Copy to: PPS/AM(Staff), Adv.(IR), EDE(N), ED(Trg.&MPP),
 JDE(L), DDE(LR)I, E(NG)I, E(NG)II & E(Trg.)

LIST OF DESIGNATED TRADES UNDER THE APPRENTICES ACT 1961

S.NO	Designated Trades	Period of Training	Rebate allowed in Apprenticeship Training to ITI candidates	Minimum Essential/ Desirable Qualification
Group No.1 Machine Shop Trades Group				
1	Fitter	3 yrs	2 yr	Passed 10 th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent
2	Turner	3 yrs	2 yrs	Passed 10 th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent
3	Machinist	3 yrs	2 yrs	Passed 10 th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent
4	Machinist(Grinder)	3 yrs	2 yrs	Passed 10 th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent
Group No.2 Foundry Trades Group				
5	Pattern Maker	3yrs.	2yrs.	Passed 8 th Class Exam. Under 10+2 system of Education or its equivalent.
6	Foundryman	3yrs.	1year	Passed 10 th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent
Group No.3 Metal Working Trades Group				
7	Sheet Metal Worker	3yrs.	1year	Passed 10 th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent
8	Welder (Gas Electric)	2yrs.	1year	Passed 10 th class Examination under 10+2 system of education or its equivalent
Group No.4 Electrical Trades Group				
9	Electrician	3yrs.	2yrs.	Passed 10 th class Examination under 10+2 system with Science as one of the subject or its equivalent.
10	Lineman	3yrs.	1year	Passed 8 th Class Exam. Under 10+2 system of Education or its equivalent.

LIST OF DESIGNATED TRADES UNDER THE APPRENTICES ACT 1961

S.NO	Designated Trades	Period of Training	Rebate allowed in Apprenticeship Training to ITI candidates	Minimum Essential/ Desirable Qualification
11	Wireman	3yrs.	2yrs.	8 th Class pass from a recognized school or its equivalent.
Group No.5	Building And Furniture Trades Group			
12	Carpenter	3yrs.	1year	Passed 10 th Class examination under the 10+2 system of education with Science (Physics and Chemistry) as one of the subject or its equivalent.
13	Plumber	3yrs.	1year	Passed 8 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
14	Mason(Building Constructor)	2year	1year	Passed 8 th class examination under 10+2 system of education or its equivalent.
Group No.6	Maintenance Trades Group:			
15	Mechanic Machine Tool Maintenance	3 yrs.	2yrs.	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Science and Maths as Subject or its equivalent.
Group No.7	Precision Machining Trades Group:			
16	Tool and Die-Maker (Die and Moulds)	4yrs.	3yrs.	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Science and Maths as Subject or its equivalent.
Group No.8	Instrument Trades Group			
17	Instrument Mechanic	3yrs.	2yrs.	Passed 10 th class examination under 10+2 system of education with Science as of the Subject or its equivalent.
Group No.9	Refrigeration and Air-Conditioning Trades Group			
18	Refrigeration and air-conditioning Mechanic	3yrs.	2yrs.	Passed 10 th class examination with Science (Physics and Chemistry) and Mathematics under the 10+2

LIST OF DESIGNATED TRADES UNDER THE APPRENTICES ACT 1961

S.NO	Designated Trades	Period of Training	Rebate allowed in Apprenticeship Training to ITI candidates	Minimum Essential/ Desirable Qualification
------	-------------------	--------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

				system.
Group No.10	Heat Engines Trades Group			
19	Mechanic (Motor Vehicle)	3yrs.	2yrs.	Passed 10 th class examination or its equivalent
20	Mechanic (Diesel)	3yrs.	1year	Passed 10 th class examination or its equivalent.
Group No.11	Draughtsman and Survey Trades Group			
21	Draughtsman(Civil)	3years	2yrs.	Passed in 10 th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects.
22	Draughtsman (Mechanic)	3yrs.	2yrs.	Passed in 10 th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects.
23	Surveyor	3yrs.	2yrs.	Passed in 10 th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects.
Group No.12	Construction Trade Group			
24	Fitter Structural	3yrs.	1year	Passed in 10 th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects
Group No.13	Power Plant Trade Group			
25	Boiler Attendant	3yrs.	6 months	Passed in 10 th Class Examination under 10+2 System with Science and Mathematics as subjects
Group No.14	Binding Group			
26	Book Binder	2yrs.	1year	Passed 8 th class examination or under 10+2 system of education or its equivalent.

एम.सी 8/2002
आरबीई सं. 119/2002

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एम पी पी)2001/6/7

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.02

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें,
उत्पादन इकाइयों सहित.

विषय :- शिक्ष अधिनियम, 1961 और शिक्षुओं का प्रशिक्षण.

बोर्ड के दिनांक 31.10.90 के पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/5 के तहत परिपत्रित शिक्षु अधिनियम, 1961 से संबंधित मास्टर परिपत्र के जारी होने के बाद से शिक्षु अधिनियम, 1961 और शिक्षुओं के प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं. अब यह विनिश्चय किया है कि इस विषय पर अभी तक जारी किए गए अनुदेशों को सम्मिलित करके एक संशोधित मास्टर परिपत्र सभी के लाभार्थ जारी किया जाए.

1. सामान्य

देश के विकासशील उद्योगों के लिए औद्योगिक शक्ति तैयार करने के उद्देश्य से कतिपय अभिहित व्यवसायों में शिक्षुओं के प्रशिक्षण को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा 12.12.61 को शिक्षु अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया था. अधिनियम के प्रावधान अगस्त, 1963 में रेलों पर लागू किए गए थे. अधिनियम के अंतर्गत रेलों का दायित्व केवल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है न कि प्रशिक्षित शिक्षुओं को समाहित करना. (संदर्भ बोर्ड का 29.8.63 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)61 टी आर 1/42)

2. अधिनियम की प्रयोज्यता सीमा

2.1 रेलों पर सिविल, यांत्रिक और सिग. एवं दू.सं. विभागों के कारखानों, उत्पादन इकाइयों, डीजल और बिजली रेल इंजनों के शेडों, सवारी और माल डिब्बा डिपो, विद्युतीकरण परियोजनाओं तथा मुद्रणालयों पर अधिनियम की व्यवस्थाएं लागू होती हैं.

- 2.2 उन इकाइयों में किसी भी कर्मचारियों को काम पर नहीं लगाया जाएगा जहां बड़ी संख्या में पहले ही फालतू कर्मचारी हैं जैसे मुद्रणालय, यांत्रिक, वर्कशॉप और सिगनल वर्कशॉप आदि.
- 2.3 जहाँ काम पर लगाए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या बहुत कम हो और प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं अपर्याप्त हों वहां अन्य प्रमुख स्थापनाओं में आर्बिट्रट सीटों को उपयुक्त रूप से समायोजित करने के प्रयास किये जायें.

(संदर्भ : बोर्ड का 16.10.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 75 (33) / 15 तथा 17.9.1981 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 80/(33)/6, 2.4.98 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 97/6/7)

3. प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या

- 3.1 श्रम मंत्रालय, बोर्ड के नोटिस में बार-बार यह बात लाया है कि रेल स्थापनाओं में प्रशिक्षित किए जा रहे प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षण के क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा आर्बिट्रट सीटों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है. श्रम मंत्रालय के नोटिस में यह लाया गया था कि रेलें प्रौद्योगिकी में परिवर्तन ला रही हैं. जिसके परिणामस्वरूप कुछ ट्रेडों, गतिविधियों में पर्याप्त रूप से कमी हुई है. यहाँ तक कि इन ट्रेडों के कारीगर बड़ी संख्या में अभी भी रजिस्टर में दर्ज हैं. श्रम मंत्रालय के नोटिस में यह भी लाया गया था कि रेलों पर प्रशिक्षण संबंधी मौजूदा सुविधाओं का उत्तरदायित्व, फालतू कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देना भी है और इसके कारण प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित संख्या में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने से संबंधित रेलों की क्षमता भी सीमित होती है. यह विनिश्चय किया गया था कि प्रशिक्षु प्रशिक्षण के क्षेत्रीय निदेशक, रेल स्थापनाओं के प्रभारियों के साथ मिल कर संयुक्त रूप से सर्वेक्षण करेंगे.

(29.11.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7)

- 3.2 संयुक्त सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए
- 3.2.1 रेलें यह सुनिश्चित करें कि केवल उन्हीं अभिहित ट्रेडों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाए जिनमें भावी भर्ती/समाहन की संभावना हो.

(यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम उत्तर प्रदेश बेरोजगार समिति के मामले में दिए गये निर्णय को देखते हुए महत्वपूर्ण है.)

3.2.2 सर्वेक्षण केवल कुशल कर्मचारियों पर ही आधारित होना चाहिए और इसमें अकुशल कामगारों/पर्यवेक्षकों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए.

3.2.3 मंडल में, प्रशिक्षुओं को लगाने की गतिविधि वाली इकाई डीजल शेड, बिजली लोको शेड, सवारी एवं माल डिब्बा डिपु आदि होंगे जहाँ कर्मचारियों की संख्या अधिक अर्थात् 500 या इससे अधिक होगी.

3.2.4 कोटे का निर्धारण करते समय किसी विशिष्ट इकाई में उपलब्ध फालतू कर्मचारियों की कुल संख्या को भी ध्यान में रखा जाए (परिवर्तित पाठ्यक्रमों के जरिये फालतू कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने से अधिनियम प्रशिक्षुओं से संबंधित इकाई/प्रशिक्षण क्षमता पर भी प्रतिबंध लगता है).

3.2.5 संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्टों और कोटा निर्धारण से संबंधित आंकड़ों पर रेलों के उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर अथवा इसके समकक्ष तथा आर डी ए टी की ओर से उप निदेशक अथवा समकक्ष और इससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप हस्ताक्षर किये जायें.

(बोर्ड के 29.11.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7 और का पत्र सं. ई (एम पी पी) 97/6/7 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7)

3.3 श्रम मंत्रालय और रेल अधिकारियों के बीच किए गये पिछले सर्वेक्षण के अनुसरण में ट्रेड प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित संख्या में काम पर रखा जाना है:

<u>रेलवे</u>	<u>आबंटित सीटें</u>
मध्य रेलवे	375
पूर्व रेलवे	894
उत्तर रेलवे	458
पूर्वोत्तर रेलवे	158
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	59
दक्षिण रेलवे	518
दक्षिण मध्य रेलवे	244
दक्षिण पूर्व रेलवे	505

पश्चिम रेलवे	393
चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना	615
डीजल कलपुर्जा कारखाना	63
सवारी डिब्बा कारखाना	320
रेल कोच फैक्टरी	160
<u>पहिया एवं धुरा संयंत्र</u>	<u>25</u>

जोड़ 4907

3.4 4907 ट्रेड प्रशिक्षुओं के अलावा वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के लिए इंजीनियर स्नातकों तथा डिप्लोमा धारकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा 956 प्रशिक्षण सीटों के संबंध में विनिश्चय किया गया है।

(दिनांक 14.5.98 ई (एम पी पी)90/6/7)

3.5 उपर्युक्त 3.1 के संदर्भ में रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि जब तक बोर्ड द्वारा अनुदेश जारी न किये जाए तब तक रेलों पर कोई नया संयुक्त सर्वेक्षण न किया जाए. प्रशिक्षुओं को उपर्युक्त निर्धारित की गयी संख्या के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए और दिए गए किसी भी समय तक इस संख्या को बनाए रखा जाए.

(बोर्ड का 15.2.2000 का पत्र सं. ई (एम पी पी)97/6/7/वाल्सू II)

4. रेलों पर भर्ती किए जाने वाले अधिनियम शिक्षुओं की कोटियां

शिक्षुओं की तीन कोटियां हैं :-

- ट्रेड शिक्षु-नए उम्मीदवार अथवा आई टी आई अर्हता प्राप्त उम्मीदवार
- तकनीकी शिक्षु (डिप्लोमाधारी) एवं
- स्नातक इंजीनियर शिक्षु.

5. भर्ती निम्नलिखित स्रोतों की जाएगी :

- निकटतम रोजगार कार्यालय

- ii) अ.जा./अ.ज.जा. संगठन,
- iii) आई टी आई, जहां कहीं मौजूद हों, और
- iv) रेल कर्मचारियों के आश्रित.

(रेलवे बोर्ड का 23.7.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 75 (33)/15) दिनांक 30.10.1989
का पत्र सं. ई (एम पी पी)86/6/6)

शिक्षु अधिनियम, 62 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक अभिहित व्यवसाय में
अ.जा./अ.ज.जा. के लिए प्रशिक्षण स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए. अपेक्षित
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुबंध-I में दर्शायी गई है.

6. अनुबंध की समयानुसूची :

अधिनियम प्रशिक्षुओं को वर्ष में दो बार अनुबंधित किया जाए अर्थात फरवरी/मार्च और
सितम्बर/अक्टूबर ताकि वे क्रमशः अप्रैल/अक्टूबर में होने वाली आल इंडिया ट्रेड परीक्षा
में भाग ले सकें.

(संदर्भ : बोर्ड के दिनांक 15.5.97 के पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7/पाटी)

7. अधिनियम शिक्षुओं की भर्ती संबंधी आरक्षण

शिक्षु अधिनियम, 62 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रत्येक अभिहित व्यवसाय में
अ.जा./अ.ज.जा. के लिए प्रशिक्षण स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए.
बहरहाल, श्रम मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि जहां तक अन्य पिछड़ा वर्ग का संबंध है,
उनके लिए आरक्षण लागू नहीं होगा.

8. रेलों पर अधिनियम शिक्षुओं की भर्ती के लिए आयु

- (i) आई टी आई उम्मीदवारों ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और वे 22 वर्ष से
कम आयु के हों.
- (ii) गैर आई टी आई उम्मीदवारों ने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे
20 वर्ष से कम आयु के हों
- (iii) अ.ज./अ.ज.जा. के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है.

(संदर्भ : बोर्ड का 12.7.82 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)82 (33)/7)

9. शारीरिक योग्यता

चयन किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक योग्यता के स्तरों के अनुरूप होना होगा जैसा कि रेलों पर संबंधित व्यवसायों में नियुक्ति के लिए विहित हैं.

10. मूल प्रशिक्षण तथा संबद्ध अनुदेश

- 10.1 प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान प्रशिक्षण में आधारभूत प्रशिक्षण, जिसके बाद कारखाने में अथवा व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा व्यवसाय के अनुरूप संबद्ध अनुदेशों का एक पाठ्यक्रम पास करना शामिल है. भर्ती के लिए विहित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अलावा शिक्षु अधिनियम, 61 के अंतर्गत रेलों पर उपलब्ध अभिहित व्यवसायों, प्रशिक्षण और प्रशिक्षण की अवधि से संबंधित सूचना इस पत्र के अनुबंध-1 में अंतर्विष्ट है.

प्रशिक्षण केंद्रों का विकास एन सी वी टी के मानदंडों के अनुसार किया जाए. यदि मूल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना मानदंडों के अनुसार नहीं की गयी है तो स्थापनाएँ केवल आई टी आई पास उम्मीदवारों को ही अनुबंधित करें. इस मामले में यदि गैर आई टी आई व्यक्तियों को प्रशिक्षुओं के रूप में अनुबंधित किया जाता है तो इसके पहले संबंधित क्षेत्रीय निदेशक की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित होगा.

संबद्ध अनुदेश प्रशिक्षु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक भाग है और स्थापनाओं द्वारा उस ट्रेड के पाठ्यक्रम के अनुसार ट्रेड प्रशिक्षुओं को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाए. यदि स्थापनाएँ

अपने प्रशिक्षुओं के लिए संबंधित अनुदेश की कक्षाएं आयोजित करने में समर्थ न हों तो इसके लिए संबंधित आर डी ए टी प्रबंध करेंगे.

(बोर्ड का दिनांक 15.5.97 का पत्र सं. ई (एम पी पी)90/6/7/पाटे)

- 10.2 स्नातक इंजीनियरों एवं डिप्लोमाधारियों के मामले में, प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है.

(संदर्भ : समय समय पर यथा संशोधित शिक्षु अधिनियम, 62 का पैरा 5 (4))

10.3 आई टी आई उम्मीदवारों के लिए, आई टी आई में अभिहित व्यवसाय में पहले प्राप्त प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार, प्रशिक्षण की अवधि विनियमित की जाएगी.

10.4 प्रशिक्षण अवधि में छूट की अनुमति अनुबंध -1 में दिए गए अनुसार है

10.5 प्रशिक्षण, प्रशिक्षु महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जाए.

11. कार्य के घंटे

प्रशिक्षु के साप्ताहिक कार्य घंटे निम्नानुसार हैं :-

- (i) प्रति सप्ताह कार्य के घंटों की कुल संख्या 42 से 48 घंटे होगी (व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यवसाय शिक्षु संबंधित अनुदेशों पर व्यय हुए समय सहित)
- (ii) आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यवसाय शिक्षु संबंधित अनुदेशों पर व्यय हुए समय सहित प्रति सप्ताह 42 घंटे कार्य करेंगे.
- (iii) शिक्षुता के दूसरे वर्ष के दौरान, व्यवसाय शिक्षु संबंधित अनुदेशों पर व्यय हुए समय सहित प्रति सप्ताह 42 से 45 घंटे कार्य करेंगे.
- (iv) तीसरे और उसके बाद के वर्षों के दौरान व्यवसाय शिक्षु, जिस स्थापना पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उसमें उसी व्यवसाय के कामगारों के समान प्रति सप्ताह उतने ही घंटे कार्य करेंगे.
- (v) स्नातक इंजीनियर और तकनीकी प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए जिस विभाग से संबद्ध है, उसके कार्य के सामान्य घंटों के अनुसार कार्य करेंगे.

टिप्पणी : शिक्षुता सलाहकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी व्यवसाय शिक्षु को 10 बजे रात और 6 बजे सुबह के बीच प्रशिक्षण पर नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि वह स्वयं संतुष्ट होने के बाद स्वीकृति न दे कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है.

(संदर्भ:-शिक्षु अधिनियम¹⁹⁹¹ का नियम 12)

(ई (ट्रेनिंग)/61-टी आर -1/42 का नियम 12 दिनांक 29.8.63)

12. छुट्टियां और अवकाश

व्यवसाय शिक्षु प्रशिक्षण के लिए जिस स्थापना से संबद्ध है, उसके कामगारों के लिए लागू नियमों की छुट्टी के लिए पात्र होंगे. निम्नलिखित शर्तों पर नियोक्ता द्वारा छुट्टी प्रदान की जा सकती है :-

12.1 ऐसी स्थापना में, जो सप्ताह में पांच दिन कार्य करती हो, प्रशिक्षण पर रहने वाले शिक्षु को एक वर्ष में कम से कम 200 दिन तक उपस्थित होना चाहिए, जिसमें से 33 दिन संबंधित अनुदेशों एवं 167 दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण में लगाये गये हैं.

12.2 ऐसी स्थापना में, जो सप्ताह में साढ़े पांच दिन या छह दिन कार्य करती है, प्रशिक्षण पर रहने वाले शिक्षु को एक वर्ष में कम से कम 240 दिन उपस्थित होना चाहिए जिसमें से 40 दिन संबंधित अनुदेशों एवं 200 दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण में लगाए गए हैं.

12.3 यदि कोई प्रशिक्षु किसी कारणवश उपर्युक्त खंडों में निर्धारित अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त न कर सका हो तो उसे बाद के वर्षों में इस कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए और वह राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा.

12.3.1 ऐसी स्थापना जो सप्ताह में पांच दिन कार्य करती हो, 3 या 4 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के अनुसार शिक्षु ने कम से कम 600 दिन या 800 दिन का प्रशिक्षण पूरा किया हो.

12.3.2 ऐसी स्थापना जो सप्ताह में साढ़े पांच दिन या छह दिन कार्य करती हो, 3 या 4 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के अनुसार शिक्षु ने कम से कम 720 दिन या 960 दिन का प्रशिक्षण पूरा किया हो.

उस स्थापना में होने वाले अवकाश, जिसमें वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों, शिक्षुओं को मिलेंगे.

उपर्युक्त निर्धारित अवधि के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले प्रशिक्षु को बाद के वर्षों में इस कमी को पूरा करने का अवसर दिया जाए.

(संदर्भ : शिक्षु अधिनियम, 1991 का नियम 13)

13. आचरण और अनुशासन

13.1 शिक्षु, रेल कर्मचारी आचरण नियमों तथा रेल सेवा (अनुशासन एवं अपील) के नियम, जो लागू हों, द्वारा शासित होंगे.

13.2 निलम्बन की अवधि के दौरान अधिनियम प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति के भुगतान के संबंध में प्रशिक्षण नियम 1991, पैरा 11 (7) और 11 (8) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -

11(7) जहां प्रशिक्षु का कार्य और उसका आचरण संतोषजनक न हो वहां नियोक्ता उस मामले की रिपोर्ट प्रशिक्षु सलाहकार को करे और उसकी सहमति से वह प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति का भुगतान जारी रखने पर रोक लगा सकता है.

बशर्ते कि प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति का भुगतान रोकने के कारणों की सूचना दिए बिना और उसे प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिये बिना छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं रोका जाएगा.

11 (8) उपनियम (7) के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर प्रशिक्षु सलाहकार रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा और यदि प्रशिक्षु सलाहकार 30 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान रोकने के संबंध में अपनी असहमति या सहमति संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह छात्रवृत्ति का भुगतान रोके जाने पर सहमत है.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 16.2.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी)91/6/11)

14. समझौता

शिक्षु अधिनियम 61 के अंतर्गत समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रम नियोक्ता और शिक्षु के बीच शिक्षुता अनुबंध की व्यवस्थाओं द्वारा नियंत्रित होता है. शिक्षुता अनुबंध अथवा समझौता पर प्रशिक्षु और रेलवे द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसे हस्ताक्षर होने की तारीख से तीन महीने के अंदर पंजीकरण के लिए शिक्षुता सलाहकार के पास भेजा गया है.

15. परीक्षा एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना

प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक व्यवसाय शिक्षु को, अभिहित व्यवसाय में उसकी प्रवीणता की जांच करने के लिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, राष्ट्रीय परिषद द्वारा एक प्रवीणता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा.

16. शिक्षता की अवधि बढ़ाना

जब कोई शिक्षु शिक्षता प्रशिक्षण की अवधि को पूरा न कर सके अथवा किन्हीं ऐसे कारणों से, जो उसके नियंत्रण में न हों, अंतिम परीक्षा न दे सके अथवा प्रशिक्षण पूरा करने के बाद भी अंतिम परीक्षा में असफल हो जाए तब रेल प्रशासन अगली परीक्षा तक प्रशिक्षण की अवधि बढ़ा सकता है. जो दूसरी बार परीक्षा में असफल होते हैं, उनके लिए यह अवधि नहीं बढ़ाई जाए. प्रशिक्षण की बढ़ी हुई अवधि के लिए, अवधि बढ़ाए जाने के पूर्व जो वजीफा उसे दिया जा रहा था, उसी दर पर वजीफा का भुगतान किया जाए.

(प्रशिक्षु नियम, 1991 का नियम 7 (2) (ख) (1))

17. वजीफा

17.1 9.4.2001 से शिक्षुओं को भुगतान कि जाने वाली वजीफा की राशि निम्न प्रकार से होगी :-

प्रशिक्षण का पहला वर्ष	820 रू. प्रतिमाह
प्रशिक्षण का दूसरा वर्ष	940 रू. प्रतिमाह
प्रशिक्षण का तीसरा वर्ष	1090 रू. प्रतिमाह
प्रशिक्षण का चौथा वर्ष	1230 रू. प्रतिमाह

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 12.6.2001 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 2000/6/5)

17.2 इंजीनियरी स्नातक/डिप्लोमाधारियों को 18 मई 2001 से वजीफा का निम्नानुसार भुगतान किया जाएगा :-

(क) डिप्लोमाधारी	1400 रू. प्रतिमाह
(ख) डिप्लोमा संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए सैंडविच पाठ्यक्रम	1140 रू. प्रतिमाह
(ग) स्नातक इंजीनियर	1980 रू. प्रतिमाह
(घ) डिग्री संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए सैंडविच पाठ्यक्रम	1400 रू. प्रतिमाह

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 11.7.2001 का पत्र सं. ई (एम पी पी)/2000/6/5)

17.3 अधिनियम प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति का भुगतान, प्रशिक्षु और रेल प्रशासन के बीच प्रशिक्षु अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात किया जाएगा और इसे पंजीकरण के लिए आर डी ए टी के पास भेजा जाए और इसकी पावती ली जाए. छात्रवृत्ति का भुगतान करने से पूर्व इस पहलू को सहायक वित्त द्वारा भी सुनिश्चित किया जाए. बहरहाल इस बात का ध्यान रखा जाए कि रेलों की गलती के कारण प्रशिक्षु को छात्रवृत्ति का भुगतान करने से इनकार न किया जाए. इसे बोर्ड द्वारा गम्भीरता से लिया जाएगा.

(फाइल सं. बोर्ड का 28.9.2001 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 2001/6/8)

17.4 स्नातक इंजीनियरों और तकनीकी प्रशिक्षुओं (डिप्लोमा धारकों) तथा सैंडविच पाठ्यक्रम के प्रशिक्षुओं को भुगतान किये गये वजीफे की लागत प्रशिक्षण प्राधिकारी (नियोक्ता) तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बराबर-बराबर बांटी जाएगी.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 3.8.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)75/33/13 और दिनांक 26.7.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी)93/6/2)

17.5 शिक्षुओं के आकस्मिक अवकाश या चिकित्सा अवकाश पर रहने की अवधि के लिए वजीफा से कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए. तथापि शिक्षु के असाधारण अवकाश पर रहने पर वजीफा देय नहीं है. वजीफे का भुगतान इस शर्त पर जारी रहेगा कि शिक्षु का कार्य और आचरण संतोषजनक है. यदि कार्य और आचरण संतोषजनक नहीं हो तो नियोक्ता

को मामले की रिपोर्ट, शिक्षुता सलाहकार को करनी चाहिए जो भुगतान के जारी रखने या न रखने के संबंध में सलाह देगा.

(संदर्भ : शिक्षु नियम, 1991 का नियम 11 (4), 11(6) और 11(7))

18. अनुबंध की समाप्ति

जहां कहीं प्रशिक्षु अनुबंध के निबंधन और शर्तों का पालन करने में विफल रहने के कारण नियोक्ता की ओर से अनुबंध समाप्त किया जाता है वहां नियोक्ता प्रशिक्षु को, क्षतिपूर्ति के रूप में उस राशि के बराबर की राशि का भुगतान करेगा जो प्रशिक्षु ने अंतिम तीन महीनों के दौरान वजीफे के रूप में प्राप्त की है और जब यह अनुबंध उपर्युक्त रूप में प्रशिक्षु के विफल रहने के कारण उसकी ओर से समाप्त किया जाए तो प्रशिक्षु से अथवा प्रशिक्षु के नाबालिग होने के मामले में उसके संरक्षक से, उस राशि के बराबर की प्रशिक्षण लागत वसूल की जाएगी जो उसने अंतिम तीन महीनों में वजीफे के रूप में प्राप्त की है.

(संदर्भ : प्रशिक्षु नियम, 1991 का नियम 8)

19. शिक्षु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं का समाहन

19.1 श्रम मंत्रालय द्वारा 15.7.92 को अधिसूचित प्रशिक्षु नियम 1991 की अनुसूची V के पैरा 10 के अनुसार नियोक्ता इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर वह उसे अपनी स्थापना में रोजगार दे और न ही प्रशिक्षु इस बात के लिए बाध्य होंगे कि वह नियोक्ता के अधीन किसी रोजगार को स्वीकार करें.

19.2 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यू पी राज्य सड़क परिवहन निगम तथा अन्य बनाम यू. पी परिवहन निगम शिक्षुक बेरोजगार संघ तथा अन्य के मामले में 12.1.95 को दिए गए निर्णय के अनुसरण में निम्नलिखित अनुदेश जारी किए गये हैं :-

19.2.1 निम्नलिखित ट्रेडों के लिए भर्ती

- कुशल कारीगर
- ग्रुप "सी" के वे पद जिनके लिए इंजीनियरी डिग्री तथा इंजीनियरी डिप्लोमा योग्यताएं हैं.
- डीजल बिजली सहायक
- ग्रुप "डी" पद

- दो उम्मीदवारों के बीच अन्य बातें समान रहने पर रेल स्थापना में अधिनियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को उस उम्मीदवार पर वरीयता दी जाएगी जिसने ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। लेकिन, भर्ती की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा और भर्ती के लिए चयन पात्र उम्मीदवारों की मेरिट के अनुसार किया जाएगा।

(बोर्ड का दिनांक 26.8.96, 13.7.99 और 6.4.2000 का पत्र सं. ई (एन जी) II/99/आर आर-1/34 तथा दिनांक 24.8.2000 का पत्र सं. ई (एन जी) II/99/आर आर-1/11)

- 19.2.2 कुशल कारीगरों के पदों पर भर्ती के लिए अधिनियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होगी बशर्ते कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले प्रशिक्षु अधिनियम के अंतर्गत अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया हो।

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 24.6.88 का पत्र सं. ई (एन जी)II/87/आर सी-2/25)

- 19.2.3 डीजल बिजली सहायकों के पदों तथा ग्रुप "डी" की कोटियों में भर्ती के लिए अधिनियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में उतनी अवधि की छूट दी जाएगी जितनी अवधि का उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 30.3.1990 का पत्र सं. ई (एन जी)II/87/आर सी-2/25 और दिनांक 24.8.2000 का पत्र सं. ई (एन जी)II/99/आरआर-1/11)

- 19.2.4 संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र, अधिनियम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की वर्ष-वार सूची रखेंगे। पहले प्रशिक्षित व्यक्तियों को बाद में प्रशिक्षित व्यक्तियों से वरिष्ठ के रूप में माना जाएगा।

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 3.12.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी)/96/6/14)

20. अन्य व्यवस्थाएं

- 20.1 शिक्षु, प्रशिक्षण के दौरान किसी दुर्घटना के कारण लगी व्यक्तिगत चोट के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार के हकदार होंगे।

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 8.2.68 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 1/67/टी आर-1/15)

20.2 शिक्षुओं द्वारा कोई अवधान द्रव्य जमा किया जाना अपेक्षित नहीं है.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 3.7.73 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 72/33/18)

20.3 प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किसी नयी सुविधा की व्यवस्था नहीं की जानी है.
मौजूदा सुविधाओं का पूरी तरह उपयोग किया जाना है.

20.4 जहां व्यवसाय शिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में, रेलवे सिद्धांतों से संबंधित अनुदेशों की व्यवस्था करती है, वहां ऐसे अनुदेश दिए जाने की लागत के रूप में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23.12.93 से 30 रु. प्रतिमाह प्रति शिक्षु के हिसाब से राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी.

(संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 20.3.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 96/6/3)

20.5 किसी स्थापना में किसी अभिहित व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा प्रत्येक शिक्षु एक प्रशिक्षु है न कि एक कामगार. सिर्फ फैक्टोरिज अधिनियम 1948 की व्यवस्थाओं द्वारा नियंत्रित किसी स्थापना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षु को छोड़कर, श्रम से संबंधित किसी कानून की व्यवस्थाएं उन पर लागू नहीं होंगी, या शिक्षु के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में उक्त अधिनियम संबद्ध व्यवस्थाएं उन पर उसी प्रकार लागू होंगी जैसे कि अधिनियम के अर्थ में वह एक कामगार हो.

(संदर्भ : भारतीय रेल स्थापना नियमावली के पैरा 3814 और 3818)

20.6 प्रत्येक नियोक्ता को अपनी स्थापना में शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षुओं के लिए एक उपस्थिति पंजिका रखनी होगी. अनियमित एवं अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए यदि कोई कार्रवाई की गई हो तो प्रत्येक माह के अंत में उक्त पंजिका में उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए.

(संदर्भ : शिक्षु नियम, 1991 का नियम 14 (8))

20.7 इसके अलावा, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक शिक्षु के प्रशिक्षण की प्रगति के संबंध में रिकॉर्ड रखा जाए तथा उसमें संबंधित प्राधिकारियों को विवरणियां प्रस्तुत की जाएं.

(संदर्भ शिक्षु नियम, 1962 का नियम 14 (10))

20.8 बोर्ड के दिनांक 5.5.84 के पत्र सं. ई (ट्रेनिंग)84(33)/8 में निर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अध्यक्षीन पिछड़े क्षेत्रों से प्रशिक्षण के लिए अधिक कर्मियों को लाने के प्रयास किए जाने चाहिए.

20.9 कोई स्नातक इंजीनियर या डिप्लोमाधारी, जिसने डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया हो या एक वर्ष या अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त किया हो, शिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं होगा.

(संदर्भ : शिक्षुता नियम, 1991 का नियम 2)

20.10 शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुरूप अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षुता सलाहकार या उनकी ओर से जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, केवल कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर जिनके संबंध में, श्रम मंत्रालय को लिखे जाने के लिए बोर्ड को तत्काल सूचना भेजनी चाहिए.

21. इस परिपत्र का हवाला देते समय, समुचित समालोचना के लिए इसमें उल्लिखित मूलपत्र एवं अन्य संदर्भों को पढ़ा जाना चाहिए. यह परिपत्र मौजूदा अनुदेशों का केवल एक संकलन है एवं इसे मूल परिपत्रों का प्रतिस्थापन नहीं समझा जाना चाहिए. संदेह के मामले में, प्राधिकार के रूप में मूल परिपत्रों को ही आधार मानना चाहिए.

22. संदर्भित मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश, जारी की गई तारीख के बाद प्रभावी होंगे, जब तक कि विशेष तौर पर अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया है. पुराने मामलों को निपटाने के लिए उस समय लागू अनुदेशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए ; और

23. इस विषय पर यदि किसी परिपत्र को अधिक्रमित न किया गया हो, और इस समेकित परिपत्र को तैयार किए जाने में छूट गया हो तो उक्त परिपत्र अनजाने में छूट गया है, इसलिए उसे वैध और लागू माना जाए. इस संबंध में सूचना बोर्ड को भेजी जाए.

24. रेलवे बोर्ड के जिन पत्रों के आधार पर यह समेकित परिपत्र बनाया गया है वे नीचे दिए गए हैं :-

- (i) दिनांक 29.8.63 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 61/टी आर 1/42
- (ii) दिनांक 16.10.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 75(33)
- (iii) दिनांक 12.9.81 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 80(33)
- (iv) दिनांक 23.7.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 73 (33)
- (v) दिनांक 12.7.82 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 82(33)
- (vi) दिनांक 8.2.68 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 1-67/टी आर-1/15
- (vii) दिनांक 3.7.73 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 72(33)
- (viii) दिनांक 5.5.84 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 84(33)/9
- (ix) दिनांक 3.8.75 का पत्र सं. ई (ट्रेनिंग) 75(33)
- (x) दिनांक 24.6.88 का पत्र सं. ई (एन जी) II/87/आर सी-2/25
- (xi) दिनांक 14.6.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 95/6/8
- (xii) दिनांक 26.7.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 93/6/2
- (xiii) दिनांक 21.8.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 95/6/13
- (xiv) दिनांक 29.11.95 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 90/6/7
- (xv) दिनांक 16.2.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 91/6/11
- (xvi) दिनांक 20.3.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 96/6/3
- (xvii) दिनांक 29.3.96 का पत्र सं. ई (एन जी) II/96/आरआर-1/13
- (xviii) दिनांक 26.8.96 का पत्र सं. ई (एन जी) II/96/आरआर-1/34
- (xix) दिनांक 16.9.96 का पत्र सं. ई (एन जी) II/96/आरआर-1/34
- (xx) दिनांक 3.12.96 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 96/6/14
- (xxi) दिनांक 15.5.97 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 90/6/7/पाठ
- (xxii) दिनांक 2.4.98 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 97/6/7
- (xxiii) दिनांक 18.5.98 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 97/6/7
- (xxiv) दिनांक 19.8.99 का पत्र सं. ई (एन जी) II/99/एसबी/20
- (xxv) दिनांक 15.2.2000 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 97/6/7/वाल्स.-II
- (xxvi) दिनांक 6.4.2000 का पत्र सं. ई (एन जी) II/96/आरआर-1/34

(xxvii)दिनांक 18.5.2000 का पत्र सं. ई (एम पी पी)2001/6/2
(xxviii)दिनांक 12.6.2001 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 2000/6/5
(xxix)दिनांक 11.7.2001 का पत्र सं. ई (एम पी पी) 2000/6/5

कृपया इस पत्र की पावती दें.

अरु. मुकुंदन

(आर. मुकुंदन)

क्वा. निदेशक(प्रशिक्षण एवं ज. श. यो.)
रेलवे बोर्ड.